## प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 08.09.2025

## #OPERATION CONVICTION

**इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते आज दिनांक 08.09.2025 को अभियोग मे सजा करायी गयी है।**

### 1. थाना सैफई

**इटावा पुलिस/अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये 01 अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

**जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना सैफई, मानीटरिंग सैल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये 01 अभियुक्त को मा0न्याय0 इटावा द्वारा 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000/- रू0 का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 18.05.2020 को वादी अनार सिंह पुत्र रमेशचन्द्र निवासी थाना सैफई जनपद इटावा ने अभियुक्तगणो द्वारा वादी के पुत्र को जान से मारने की नीयत से गला दबाना, मारपीट करना तथा गर्दन व सिर पर चाकुओं से वार करने के सम्बन्ध तहरीर दी जिसके सम्बन्ध में थाना सैफई पर **मु0अ0सं0-113/2020 धारा 307 भादवि में पंजीकृत किया गया।**

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी उ0नि0 अंजली तिवारी द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण मे सतत निगरानी बनाये रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना सैफई पुलिस टीम, पैरोकार है0 का0 गुलाब सिंह व एवं मानीटरिंग टीम व एडीजीसी श्री तरुण कुमार शुक्ल द्वारा नियत तिथियों पर प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 08.09.2025 को अन्तर्गत धारा 307 भादवि में **मा0न्याय0 एडीजे-04/ स्पे0 जज ईसी एक्ट इटावा द्वारा अभियुक्त अनिल को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 10,000/- रू0 का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

**सजायाफ्ता अपराधी-**

1. अनिल पुत्र प्रेमपाल सिंह निवासी हैवरा थाना सैफई जनपद इटावा।

## 2. थाना बकेवर

**इटावा पुलिस/अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये 01 अभियुक्त को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000/- रू0 का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

**जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना बकेवर, मानीटरिंग सैल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये 01 अभियुक्त को मा0न्याय0 इटावा द्वारा 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000/- रू0 का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

**संक्षिप्त विवरणः-**

दिनांक 07.12.2006 को वादी का पैसो से भरा थैला खीचकर भागने की कोशिश करना तथा पकडे जाने के सम्बन्ध में थाना बकेवर पर **मु0अ0सं0-243/2006 धारा 392 भादवि में पंजीकृत किया गया।**

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी उ0नि0 श्री राजेश कुमार सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण मे सतत निगरानी बनाये रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना बकेवर पुलिस टीम, पैरोकार का0 राहुल कुमार व एवं मानीटरिंग टीम व एपीओ श्री कौशलेन्द्र तोमर द्वारा नियत तिथियों पर प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 08.09.2025 को अन्तर्गत धारा 392 भादवि में **मा0न्याय0 एडीजे-12 डकैती कोर्ट इटावा द्वारा अभियुक्त राजपाल को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

**सजायाफ्ता अपराधी-**

1. राजपाल पुत्र रामाधार बाथम निवासी लाल पुर थाना अछल्दा जनपद औरैया।